

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00783/2022-2023

दिनांक 26/05/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/LUC/02635
/2022-2023

पत्रावली संख्या: I-134283 दिनांक: 2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्कालर्स नेस्ट एज्केशनल सोसाइटी,, सी13/111, राजाजीपुरम, जिला-
नखनऊ, नखनऊ, 226017 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 207-2002-2003 दिनांक-
10/05/2002 को दिनांक-10/05/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्म्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
37DB1857CADDASF210B104D9790F0BEF56E7C4A
Date: 26/05/2022 1:40:16 PM, Location: Lucknow.


जारी करने का दिनांक-26/05/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

स्कालर्स नेस्ट एजूकेशनल सोसाइटी
 सी-13/111, राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ
 की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष ::2020-2021 ✓

क्रम संख्या	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	तरनीम रहमान पत्नी श्री आरिफ रहमान	फ्लैट नं0204, पलोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री आरिफुल हसन पुत्र स्व० कुतुबुल हसन	294/76, बाजार खाला जिला लखनऊ	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	श्री आरिफ रहमान पुत्र स्व० एस० एच० रहमान	फ्लैट नं0204, पलोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	महासचिव	समाजसेवा
4	श्रीमती फौजिया रहमान पत्नी इनायत रहमान	160, सिविल लाइन्स जिला हरदोई	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5	श्रीमती प्रीती सक्सेना पत्नी विशाल सक्सेना	22/205, इन्दिरानगर जिला-लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य/ समाजसेवा
6	श्री शाह फैसल पुत्र श्री अनीसुर रहमान	558/32 बी० सुन्दरनगर, कपूर डेरी आलमबाग जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री अविनाश श्रीवास्तव पुत्र ओ०पी० श्रीवास्तव	बावन बस स्टैण्ड के सामने, बावन चूँगी जिला हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
8	श्रीमती शैला हसन पत्नी आरिफुल हसन	294/76, बाजार खाला जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य
9	श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	आर०एस० 3/178, टिकैतराय, राजकीय कालोनी जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर
 1- 
 2- 
 3- 
 4- 

स्कालर्स नेस्ट एजूकेशनल सोसाइटी
 सी-13/111, राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ
 की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष ::2021-2022 ✓

क्र० सं०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	तस्नीम रहमान पत्नी श्री आरिफ रहमान	फ्लैट नं0204, फ्लोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री आरिफुल हसन पुत्र स्व०कुतुबुल हसन	294/76, बाजार खाला जिला लखनऊ	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	श्री आरिफ रहमान पुत्र स्व० एस०एच०रहमान	फ्लैट नं0204, फ्लोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	महासचिव	समाजसेवा
4	श्रीमती फौजिया रहमान पत्नी इनायत रहमान	160, सिविल लाइन्स जिला हरदोई	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5	श्रीमती प्रीती सक्सेना पत्नी विशाल सक्सेना	22/205, इन्दिरानगर जिला-लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य/ समाजसेवा
6	श्री शाह फैसल पुत्र श्री अनीसुर रहमान	558/32 बी० सुन्दरनगर, कपूर डेरी आलमबाग जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री अविनाश श्रीवास्तव पुत्र ओ०पी०श्रीवास्तव	बावन बस स्टैण्ड के सामने, बावन चुंगी जिला हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
8	श्रीमती शैला हसन पत्नी आरिफुल हसन	294/76, बाजार खाला जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य
9	श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	आर०एस० 3/178, टिकैतराय, राजकीय कालोनी जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1-

Jameem

2-

Abdul

3-

Muhib

4-

Fauzia Asif

स्कालर्स नेस्ट एजूकेशनल सोसाइटी

सी-13/111, राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ
साधारण सभा की सूची वर्ष ::2022-2023 ✓

क्रम संख्या	नाम/पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी	अनुमोदनकर्ता
1	तस्नीम रहमान पत्नी श्री आरिफ रहमान	फ्लैट नं0204, फ्लोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
2	श्री आरिफुल हसन पुत्र स्व०कुतुबुल हसन	294/76, बाजार खाला जिला लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
3	श्री आरिफ रहमान पुत्र स्व० एस०एच०रहमान	फ्लैट नं0204, फ्लोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
4	श्रीमती फौजिया रहमान पत्नी इनायत रहमान	160, सिविल लाइन्स जिला हरदोई	सामान्य	साधारण सभा
5	श्रीमती प्रीती सक्सेना पत्नी विशाल सक्सेना	22/205, इन्डिरानगर जिला-लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
6	श्री शाह फैसल पुत्र श्री अनीसुर रहमान	558/32 बी० सुन्दरनगर, कपूर डेरी आलमबाग जिला लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
7	श्री अविनाश श्रीवास्तव पुत्र ओ०पी०श्रीवास्तव	बावन बस स्टैण्ड के सामने, बावन चूँगी जिला हरदोई	सामान्य	साधारण सभा
8	श्रीमती शैला हसन पत्नी आरिफुल हसन	294/76, बाजार खाला जिला लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
9	श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	आर०एस० 3/178, टिकैतराय, राजकीय कालोनी जिला लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
10	श्री क०एम०श्रीवास्तव	162/1, एल०डी०ए०टी०आर०टी० कालोनी लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा
11	श्री एम० ए० खान	सी-1157, राजाजीपुरम जिला लखनऊ	सामान्य	साधारण सभा

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

- 1- Jameel
- 2- Akbar
- 3- Mirza
- 4- Fauzia Asif

स्कालर्स नेस्ट एजूकेशनल सोसाइटी
 सी-13/111, राजाजीपुरम, जिला—लखनऊ
 की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष ::2022-2023

क्र० स०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	तस्नीम रहमान पत्नी श्री आरिफ रहमान	फ्लैट नं0204, फ्लोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री आरिफुल हसन पुत्र स्व०कुतुबुल हसन	294 / 76, बाजार खाला जिला लखनऊ	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	श्री आरिफ रहमान पुत्र स्व० एस०एच०रहमान	फ्लैट नं0204, फ्लोर 2, आसिया मंजिल बाबूगंज नई बस्ती निरालानगर लखनऊ	महासचिव	समाजसेवा
4	श्रीमती फौजिया रहमान पत्नी इनायत रहमान	160, सिविल लाइन्स जिला हरदोई	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5	श्रीमती प्रीती सक्सेना पत्नी विशाल सक्सेना	22 / 205, इन्दिरानगर जिला—लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य/ समाजसेवा
6	श्री शाह फैसल पुत्र श्री अनीसुर रहमान	558 / 32 बी० सुन्दरनगर, कपूर डेरी आलमबाग जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री अविनाश श्रीवास्तव पुत्र ओ०पी०श्रीवास्तव	बावन बस स्टैण्ड के सामने, बावन चूँगी जिला हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
8	श्रीमती शैला हसन पत्नी आरिफुल हसन	294 / 76, बाजार खाला जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य
9	श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	आर०एस० 3 / 178, टिकैतराय, राजकीय कालोनी जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

- 1- Jameem
- 2- Alaen
- 3- Muif
- 4- Fouzia Af

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 383651

वह जनरल स्टाम्प पापर का लिखे गए स्टाम्प के लिए^{को}
सहाय्य
विधा वाला वाला नं । 134283
द्वितीय 20/09/2018 को भारत सरकार द्वारा
द्वितीय



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहाय्यक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज वथ विंडस
सर्कारी स्टाम्प लखनऊ
25/09/2018

संशोधित नियमावली

- (1) संस्था का नामः स्कालर्स नेस्ट एजूकेशनल सोसाइटी
- (2) संस्था का पताः सी-13/111, राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ।
- (3) संस्था का कार्यक्षेत्रः सम्पूर्ण भारतवर्ष।
- (4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के बारा :

आजीवन सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 501/-रु० एक बार में या इतने ही मूल्य की रामपति चल या अचल रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु 12/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

(5) सदस्यता की समाप्ति:

- 1—मृत्यु हो जाने पर।
- 2—पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- 3—संस्था के विपरीत हानिकर कार्य करने पर।
- 4—अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
- 5—नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
- 6—लगातार तीन बैठकों में अनुपरिधि रहने पर।
- 7—नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

(6) संस्था के अंग ::

- (अ) साधारण सभा।
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा ::

गठन ::

साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपरिधि गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1—प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
- 2—संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
- 3—संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- 4—संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय छिपा राजिरदान
फैसला सोसाइटी ज तथा यिद
प्रबन्धकारिणी समिति
24/08/18

A. Aras

Vijay

Suraj A.

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन ::

राधारण सागा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को गिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें—आध्यक्ष—एक उपाध्यक्ष—एक, महासचिव—एक, कोपाध्यक्ष—एक, इस प्रकार कुल संख्या 09 होगी, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।

बैठक ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक रथान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1—संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
- 2—संस्था की वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3—संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 4—समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0 तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, अपार्ड, नावार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिडी, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा विभाग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग, समाजसेवी संस्थाओं से दान अनुदान व चन्दा, ऋण प्राप्त करके उददेश्यों की पूर्ति में लगाना।
- 5—संस्था के उत्थान के लिये किसी वित्तीय संस्था व राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक से ऋण प्राप्त करना।
- 6—संस्था द्वारा स्कालर्स नेस्ट स्कूल का संचालन किया जायेगा।
- 7—अपरिवर्तनीय खण्ड धन और सम्पत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी को जो भी अधिकार प्राप्त होंगे, वे अपरिवर्तनीय होंगे, साथ ही सामान्य कल्याण और शिक्षा में सोसाइटी और प्रबन्धन द्वारा किया गया व्यय भी अपरिवर्तनीय होगा, उनके अधिकारों को उसके बाद भी बदला नहीं जा सकता है, कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में सोसाइटी की गतिविधियां जो लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं, वो जनरल पब्लिक के लिये हैं न कि किसी अन्य व्यक्ति के लिये।
- 8—संस्था के धन/सम्पत्ति का उपयोग केवल सोसाइटी के उददेश्यों के लिये किया जायेगा जो सोसाइटी के मुख्य उददेश्यों के सम्मेलन में होंगे और सोसाइटी के मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।
- 9—सोसाइटी के विघटन की स्थिति में सोसाइटी के फण्ड/सम्पत्ति को केवल कुछ अन्य सोसाइटी में रक्तान्तरित किया जायेगा, जिनके समान उददेश्य होंगे, इन निधियों और सम्पत्ति को सोसाइटी के दानदाताओं या प्रबन्धन को वापस हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि :-

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रर
फर्म सोसाइटीज तथा चिकित्सा
कार्यालय संस्कृति लक्ष्यम्

Haran

Minal

Fauzia Asif

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

- 1—संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 2—सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 3—बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन या परिवर्धन करना, एवं बैठकों को स्थगित करना।
- 4—बैठकों के लिये तिथियों का निर्धारण करना।
- 5—समान मत होने पर एक निर्णयिक मत देना।
- 6—राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।
- 7—सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपरिधि में उसके सम्पूर्ण कार्य संस्था के हितार्थ में करना।

महासचिव

- 1—आय व्यय का लेखा जोखा चेक करना।
- 2—संस्था के बिल बाज़रों, आहरण पत्रों संविदा पत्रों चेक, इत्यादि का भुगतान करना।
- 3—संस्था का मुख्य अधिकारी महासचिव होगा।
- 4—संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
- 5—संस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगा।
- 6—स्वयं संस्था के हितार्थ कार्य करेगा तथा अन्य कार्यों में सहयोग करेगा।
- 7—सदस्यों से दान चन्दा प्राप्त करना।
- 8—संस्था के सदस्यों/कर्मचारियों/अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति, निष्कासन पदोन्ति का कार्य करना।
- 9—वार्षिक बजट तैयार करना।
- 10—संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- 11—चल अचल सम्पत्ति की देखरेख करना।
- 12—कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन करना।
- 13—राजकीय अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

कोषाध्यक्ष ::

- 1—कोषाध्यक्ष को संस्था के हित में मात्र 500/- रुपये खर्च करने का अधिकार होगा जिसकी संस्तुति बाद में प्रबन्धकारिणी समिति एवं महासचिव से लेनी होगी।
- 2—समस्त आय व्यय का वर्षवार लेखा जोखा करके समस्त आलेख महासचिव के पास प्रस्तुत करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष ::

संस्था का समस्त कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोर्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सत्याग्रहितालिपि

प्रधान संस्थांक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रर
फर्म सोसाइटीज न्यू दिल्ली
प्रधान संस्था का नियमित लेखन प्रधान

H. Ray

Vijay

Foreza A.S.

स्कालर्स नेस्ट संस्कृति रोड सोसाइटी

सी-13/111, रोड सोसाइटी, बाबुगंज-लखनऊ
की प्रबन्धकारिणी रागिति की दृर्ति परी 2019-2020

क्रम संख्या	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	तरनीम रहमान पत्नी श्री आरिफ रहमान	फ्लैट नं 0204, ग्लोर 2, आसिया मंजिल बाबुगंज नई घरती निरालानगर लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री आरिफुल हसन पुत्र स्वरुपुल हसन	294/76, बाजार खाली जिला लखनऊ	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	श्री आरिफ रहमान पुत्र स्वरुपुल हसन	फ्लैट नं 0204, ग्लोर 2, आसिया मंजिल बाबुगंज नई घरती निरालानगर लखनऊ	महासचिव	समाजसेवा
4	श्रीमती फौजिया रहमान पत्नी इनायत रहमान	160, सिविल लाइन्स, जिला हरदोई	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5	श्रीमती प्रीती सकरेना पत्नी विशाल सकरेना	22/205, हन्दिरानगर जिला-लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य/ समाजसेवा
6	श्री शाह फैसल पुत्र श्री अनीसुर रहमान	558/32 दो० सुन्दरगढ़, कपूर डेरी आलमबाग जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	श्री अविनाश श्रीवास्तव पुत्र ओपी० श्रीवास्तव	बावन बस टैरेंड दे० सामने, बावन द्युँगी जिला हरदोई	सदस्य	समाजसेवा
8	श्रीमती शैला हसन पत्नी आरिफुल हसन	294/76, बाजार खाली जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य
9	श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	आर०एस० ३/१७८, टिकेतराया, राजकीय कालोनी जिला लखनऊ	सदस्य	गृहकार्य

(सत्य प्रतिलिपि)



इसका प्रतीक्षा

Dameen

A. Hasey

M. Hasey

Vineet

Fouzia Asif

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्मर सोसाइटीज वथा शिल्प
लखनऊ मार्ग लखनऊ

25 अक्टूबर 2019

(12) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व महासचिव पर होगा, या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा।

(14) संस्था के अभिलेख ::

- 1—सदस्यता रजिस्टर
- 2—कार्यवाही रजिस्टर
- 3—रस्टाक रजिस्टर
- 4—कैश बुक आदि

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर :

1— Jasneem
2— Aharay
3— Nimul
4— Ferejia Azad



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा विट्रुव

लखनऊ मण्डल लखनऊ

2408/16

स्मृति-पत्र

१. संस्था का नाम	: स्कालर्स नेट एजुकेशनल सोसाइटी।
२. संस्था का पता	: सी-१३/१११, राजाजीपुरम, लखनऊ
३. संस्था का कार्यक्षेत्र	: सम्पूर्ण भारतवर्ष।
४. संस्था के उद्देश्य	:

- ✓ १. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/शिक्षण केन्द्रों/कोचिंग की निःशुल्क स्थापना व संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना।
२. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक व निर्धन छात्र, छात्राओं के लिए कम्प्यूटर सौफ्ट वेयर हाडवेयर, इन्टर नेट, आदि की निःशुल्क व्यवस्था कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने हेतु समकक्ष योग्यता प्रदान करना।
३. विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय, प्रयोगशाला आदि की निःशुल्क स्थापना करना।
४. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक, गरीब महिलाओं एवं बालक बालिकाओं तथा सामान्य के लिए सिलाई, त्रिकन, दरौजी, कढाई, बुनाई, दस्तकारी, टाईप शौट हैण्ड, कम्प्यूटर पेन्टिंग, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेन्ट्स, व्यूटीपार्लर, एवं अन्य सांस्कृतिक जैसे ढोलक, संगीत, नृत्य एवं गायन—वादन, इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना।
५. समस्त भाषाओं का ज्ञान प्रदान करना तथा सम्मान करना।
६. समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, उवार्ड, नाबार्ड, सिडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूनीसेफ, डवाकरा, सिप्पा, सेफ इंडिया, नौराड, सूडा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार—प्रसार व संचालन करना।
७. छात्र/छात्राओं को साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक तथा प्रतियोगितामुक शिक्षा दिलाकर उन्हे आदर्श नागरिक बनाना।
८. मेद्यावी एवं अति निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकीय सहायकता एवं पुष्टाहार दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
९. अन्धी, लंगड़ी, मूक—बधिर, विधवा अनाश्रित, गरीब बेरोजगार महिलाओं/पुरुषों के सर्वांगीण विकास हेतु महिला सेवा आश्रमों व केन्द्रों अनाथालय, छात्रावास, पुष्टाहार, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, शिशु पालन केन्द्र, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र, आश्रम, विधवा आश्रम, इत्यादि की निःशुल्क स्थापना व संचालन करना।
१०. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण नशा उन्मूलन, एड्स, पल्स पोलियो, कुष्ठ रोग, नेत्रहीन शिविर, परिवार नियोजन, रक्त दान, पोलियो उन्मूलन, इत्यादि के कार्यक्रमों का निःशुल्क क्रियान्वयन एवं संचालन करना।
११. ग्रामीण एवं शहरी विकास करना तथा लोगों को जागरूक करना।
१२. कृषि वानकी को बढ़ावा देना तथा कृषि के विषय में जानकारी प्रदान करना।
१३. ग्रामीण महिलाओं बच्चों एवं युवकों छात्र छात्राओं के विकास के हित में कार्य करना।



सत्य प्रतिलिपि

हिन्दी रेखिरदूर

काल्पनिक विवरक एवं चिद्ध,

2002-06-06, लखनऊ


५. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद, व्यवसाय जिनको संरक्षा के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्रम.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	श्रीमती आसफा हरीब	मं०नं० ५६०, सिविल लाइन, हरदोई २४९००९	अध्यक्ष	समाज सेविका/ गृहणी
२.	श्री इनायत रहमान	मं०नं० १४५, सिविल लाइन जिला हरदोई	उपाध्यक्ष	समाज सेवा/ व्यापार
३.	श्री आरिफ रहमान	सी-१३/१९९, राजाजीपुरम् लखनऊ	महासचिव	समाज सेवा/ शिक्षक
४.	श्रीमती फोजिया आसिफ	मं०नं० १४५, सिविल लाइन, हरदोई	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा/ गृहणी
५.	श्रीमती प्रीती सक्सेना	२२/२०५, इन्द्रा नगर लखनऊ	सदस्य	गृहणी
६.	श्री अखिल श्रीवास्तव	सी-५१, सचिवालय कालोनी, महानगर लखनऊ	सदस्य	समाज सेवा/ सलाहकार
७.	श्री अविनाश श्रीवास्तव	बावन बस स्टैण्ड के सामने, बावन चुंगी हरदोई	सदस्य	समाज सेवा/ सलाहकार
८.	श्री पारस मिश्रा	मं०नं० ५५ सफेदगंज रामदत्त चौराहा हरदोई	सदस्य	समाज सेवी
९.	श्रीमती उमा कनौजिया	एम०एम०आई०डी० २७३/१, एल०डी०ए० कालोनी टिकैत राय का तालाब, लखनऊ	सदस्य	समाज सेवा

१०. 'हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १९६० के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है'।

दिनांक : ३०-५-०२ :

हस्ताक्षर :-



१. [Signature]

२. [Signature]

३. [Signature]

४. [Signature]

५. [Signature]

६. [Signature]

७. [Signature]

८. [Signature]

सत्य प्रतिलिपि

डिलीप रेत्तुर

छात्र, सोसाइटीज एवं इंटर्नेशनल

दस्तावेज़ संग्रह, लखनऊ

२

v

नियमावली

१. संस्था का नाम : स्कालर्स नेट एजुकेशनल सोसाइटी।
२. संस्था का पता : सी-१३/१११, राजाजीपुरम, लखनऊ
३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।
४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग
आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु ५०९/- रु. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।
- सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उददेश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु १२/- रु. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।
५. सदस्यता की समिति : १. मृत्यु हो जाने पर।
२. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
३. संस्था के विपरीत हानि कर कार्य करने पर।
४. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
६. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
७. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
६. संस्था के अंग : अ. साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति
७. साधारण सभा
गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।
- बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
- सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ६ दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
- गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति-गणपूर्ति मान्य होगी।
- विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि : साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सदस्यों के बहुमत से तय किया जायेगा।
- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :
१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
 २. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
 ३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
 ४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना।
८. प्रबन्धकारिणी समिति
गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक,



2. *Shayat*

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

फॉर्म, सोसाइटीज एवं विद्युत,

लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश

25-02-2006

बैठक	महासचिव—एक, कोषाध्यक्ष—एक, एवं सदस्य—५ होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर ६ होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
सूचना अवधि	प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम ६ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना २४ घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।
गणपूर्ति	प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।
रिक्त स्थानों की पूर्ति	प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।
प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :	<ol style="list-style-type: none"> १. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना। २. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना। ३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। ४. समाज कल्याण विभाग उठप्र० तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग, समाज सेवी संस्थाओं से दान अनुदान व चन्दा, ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।
कार्यकाल	प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल ५ साल का होगा।
६. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :	<ol style="list-style-type: none"> १. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना। २. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। ३. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन या परिवर्धन करना एवं बैठकों को स्थगित करना। ४. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना। ५. समान मत होने पर एक निर्णायिक मत देना। ६. राजकीय सहायत एवं अनुदान प्राप्त करना। ७. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना। ८. संस्था की अनुपस्थिति में उसके सम्पूर्ण कार्य संस्था के हितार्थ में करना। ९. आय व्यय का लेखा जोखा चेक करना। १०. संस्था के बिल, बाउचरों, आहरण पत्रों संविदा पत्रों, चेक, इत्यादि का भुगतान करना। ११. संस्था का मुख्य अधिकारी महासचिव होगा। १२. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना। १३. संस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगा। १४. स्वयं संस्था के हितार्थ कार्य करेगा, तथा अन्य कार्यों में सहयोग करेगा। १५. सदस्यों से दान चन्दा प्राप्त करना।
अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> १. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना। २. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। ३. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन या परिवर्धन करना एवं बैठकों को स्थगित करना। ४. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना। ५. समान मत होने पर एक निर्णायिक मत देना। ६. राजकीय सहायत एवं अनुदान प्राप्त करना। ७. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना। ८. संस्था की अनुपस्थिति में उसके सम्पूर्ण कार्य संस्था के हितार्थ में करना। ९. आय व्यय का लेखा जोखा चेक करना। १०. संस्था के बिल, बाउचरों, आहरण पत्रों संविदा पत्रों, चेक, इत्यादि का भुगतान करना। ११. संस्था का मुख्य अधिकारी महासचिव होगा। १२. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना। १३. संस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगा। १४. स्वयं संस्था के हितार्थ कार्य करेगा, तथा अन्य कार्यों में सहयोग करेगा। १५. सदस्यों से दान चन्दा प्राप्त करना।



1.
2.
3.

2

सत्य प्रतिलिपि

हिन्दी रजिस्ट्रार
कम्स, सोसाइटीज एवं चिट्ठ,
बद्रीनगर, लखनऊ
२००२०८

८. संस्था में सदस्यों / कर्मचारियों / अध्यापकों / अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं निष्कासन, पदोन्नति का कार्य करना।

९. वार्षिक बजट तैयार करना।

१०. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

११. चल अचल सम्पत्ति की देख रेख करना।

१२. कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन करना।

१३. राजकीय अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

कोषाध्यक्ष

- : १. कोषाध्यक्ष को संस्था के हित में मात्र ५००/- रूपये खर्च करने का अधिकार होगा, जिसकी संस्तुति बाद में प्रबंध समिति एवं महासचिव से लेनी होगी।
२. समस्त आय व्यय का वर्षवार लेखा जोखा करके समस्त आलेख महासचिव के पास प्रस्तुत करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

: साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

११. संस्था का कोष

: संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

: संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

१३. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व :

: संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व महासचिव पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा।

१४. संस्था के अभिलेख

: अ. सदस्यता रजिस्टर।

ब. कार्यवाही रजिस्टर।

स. स्टाक रजिस्टर।

१५. विघटन

: संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एकट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक : ३०-४-०६

:: हस्ताक्षर ::

१.

२.

३.

2.11.2006
H.S. SINGH
H.S. SINGH

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्टर

डम्प, सोसाइटीज एवं विद्या,

३ दिसंबर सप्टेंबर, चूचूल
२००२-०६

.3